भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2261**
07/08/2026 को उत्तरार्थ

**विषय- बुआई क्षेत्रफल घटने के कारण किसानों की आय में गिरावट**
**2261. श्री रामजी लाल सुमनः**
क्या ***कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या मानसून की धीमी प्रगति के कारण इस वर्ष के दौरान खरीफ फसलों के बुआई क्षेत्रफल में कमी आई है;
(ख) विगत 2 वर्षों के दौरान खरीफ फसल की बुआई क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर का है;
(ग) विगत 3 वर्षों में खरीफ की किन-किन फसलों की बुआई के रकबे में उतार चढ़ाव आया है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) फसलों की बुआई के रकबे को बरकरार रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) घटते बुआई क्षेत्रफल के कारण किसानों की आय में कमी का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) से (ग): खरीफ 2026-27 के लिए बुआई कार्य अभी भी जारी है और कृषि वर्ष 2026-27 (जुलाई-जून) में सभी प्रमुख खरीफ फसलों के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए खरीफ फसलों के अंतर्गत बोए गए कुल क्षेत्रफल में उतार-चढ़ाव और अनेक कारणों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): दक्षिण-पश्चिम मानसून के विलंबित और अनियमित आगमन तथा परिणामस्वरूप खरीफ की बुआई में हुई कमी को देखते हुए, सरकार ने बुआई कार्यों को जारी रखने और खेती योग्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गिरावट को कम करने के लिए सक्रियता से कई उपाय किए हैं। यह कार्यनीति उपलब्ध समय सीमा के भीतर अधिकतम बुआई करने, वैकल्पिक और अल्पावधि फसलों को बढ़ावा देने, समय पर बीज और ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने, फसल विविधीकरण का समर्थन करने और फसल बीमा तथा निरंतर मौसम-फसल निगरानी के माध्यम से जोखिम न्यूनीकरण प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर - सीआरआईडीए) ने 15 राज्यों के उन 342 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिक योजना (डीएसीपी) को अपडेट किया है, जिनमें सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही, आईसीएआर ने कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के लिए अल नीनो से संबंधित जोखिमों को कम करने हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) भी जारी की हैं।
(ii) फसल मौसम निगरानी समूह (सीडब्ल्यूडब्ल्यूजी) की साप्ताहिक बैठक में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर - सीआरआईडीए), उर्वरक विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस बैठक का उद्देश्य वर्षा की स्थिति, जलाशय भंडारण, भूजल स्तर, फसल की बुआई, इनपुट की उपलब्धता, बाजार की स्थिति और कीट/रोगों के प्रकोप की समीक्षा करना और समय पर हस्तक्षेप करना है। राज्य कृषि सचिवों और राहत आयुक्तों के साथ दिनांक 27.04.2026 को सचिव (डीए एवं एफडब्ल्यू) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीज, चारा, पेयजल एवं सिंचाई जल, उर्वरक जैसे इनपुट की उपलब्धता और सामान्य तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अलावा, मानसून के लिए तैयारियों का

आकलन और सुदृढ़ीकरण करने के लिए दिनांक 17.06.2026 को संकट प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 19 जून 2026 को अल नीनो स्थितियों के संभावित प्रभाव से उत्पन्न होने वाली सामान्य से कम वर्षा की स्थितियों के लिए तैयारियों की समीक्षा भी की है। भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री ने 23 जून 2026 को अल नीनो की स्थिति के मद्देनजर खरीफ की तैयारियों के लिए राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मिलकर स्थिति की समीक्षा की है।

(iii) राज्यों की 172.80 लाख क्विंटल की मांग की तुलना में पर्याप्त मात्रा में खरीफ फसलों के 192.25 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध कराए गए हैं। राज्यों ने 1% बीज अर्थात 1.74 लाख क्विंटल बीज राष्ट्रीय बीज भंडार के रूप में आरक्षित रखे हैं।

(iv) फसल विविधता को बढ़ावा देने, कम अवधि वाली और सूखा-अनुकूल फसल किस्मों को बढ़ावा देने, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, जल संरक्षण पद्धतियों, सूक्ष्म सिंचाई, मल्चिंग, अंतरफसल खेती और अन्य जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया है।

(v) 1 से 30 जून, 2026 के दौरान राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें जल संरक्षण को बढ़ावा देने, कुशल सिंचाई और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए आयोजित 1,14,567 कार्यक्रमों में 80,67,300 किसानों ने भाग लिया। साथ ही, संवेदनशील जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत एक गहन किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरण अभियान और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

(vi) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के मद्देनजर जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय प्रदान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रूप में उपलब्ध निधियों से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत उपाय करती हैं। एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में विचाराधीन होती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल होता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, वास्तविक/दावा किए गए नुकसान के मुआवजे के लिए नहीं होती है। गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार, वर्ष 2026-27 से 2030-31 के दौरान राज्यवार एसडीआरएफ (सोलहवें वित्त आयोग के अंतर्गत) के तहत निधि आवंटन का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(vii) केंद्रीय जल आयोग और राज्य सरकारों को जलाशय के पानी के अधिकतम उपयोग के लिए अग्रिम योजना बनाने और कुशल सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) जैसी चल रही योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। ग्रामीण विकास विभाग, विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) निधि का उपयोग जल संरचनाओं - जैसे कि खेत तालाब, चेक डैम, नहरों की गाद निकालने और बोरी बंधनों - के पुनरुद्धार के लिए कर रहा है ताकि प्रारंभिक या अवशिष्ट वर्षा की प्रत्येक बूंद को संचित किया जा सके। इसके अतिरिक्त जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों के अंतर्गत, विभाग विभिन्न योजनाओं, जैसे कि... प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम), एकीकृत तिलहन मिशन योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और देश भर में चल रहे अन्य कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित कर रहा है।

(ड.): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया, जो कृषि वर्ष जुलाई, 2018 - जून, 2019 के संदर्भ में था। इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 70वां दौर) में 6,426 रुपये से बढ़कर वर्ष 2018-19 (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 77वां दौर) में 10,218 रुपये हो गई।

**अनुबंध**

**राज्यसभा में दिनांक 07.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2261 के भाग (क) से (ग) का संदर्भित अनुबंध-**

## खरीफ मौसम में प्रमुख कृषि फसलों के कुल क्षेत्रफल में उतार-चढ़ाव

| फसल | क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) | | | प्रतिशत परिवर्तन (पिछले वर्ष की तुलना में) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 |
| चावल | 407.34 | 434.66 | 446.70 | 0.82 | 6.71 | 2.77 |
| मक्का | 83.29 | 84.61 | 98.61 | 3.43 | 1.58 | 16.55 |
| श्री अन्न / पोषक अनाज | 99.50 | 99.83 | 93.51 | -1.93 | 0.33 | -6.33 |
| तूअर | 41.31 | 43.36 | 44.60 | 1.55 | 4.96 | 2.86 |
| उड़द | 26.81 | 21.81 | 21.26 | -13.46 | -18.65 | -2.52 |
| मूंग | 31.74 | 34.14 | 37.45 | -8.95 | 7.56 | 9.70 |
| अन्य दलहन | 16.40 | 16.75 | 15.66 | 13.73 | 2.13 | -6.51 |
| मूंगफली | 40.44 | 50.05 | 50.29 | -5.14 | 23.76 | 0.48 |
| कैस्टर सीड | 10.41 | 9.65 | 10.89 | 2.16 | -7.30 | 12.85 |
| तिल | 10.08 | 10.39 | 9.63 | -3.36 | 3.08 | -7.31 |
| नाइजरसीड | 0.83 | 1.01 | 0.83 | -5.68 | 21.69 | -17.82 |
| सोयाबीन | 132.55 | 129.52 | 123.86 | 1.31 | -2.29 | -4.37 |
| सूरजमुखी | 0.67 | 0.78 | 0.88 | -69.27 | 16.42 | 12.82 |
| गन्ना | 57.40 | 54.50 | 58.84 | -2.46 | -5.05 | 7.96 |
| कपास | 126.88 | 114.84 | 115.25 | -1.85 | -9.49 | 0.36 |
| जूट और मेस्टा | 5.98 | 5.44 | 5.83 | -3.39 | -9.03 | 7.17 |
| **कुल क्षेत्र** | **1092.02** | **1111.64** | **1134.32** | **-0.62** | **1.80** | **2.04** |

*स्रोत: डीए एंड एफडब्ल्यू*
*वर्ष 2025-26 के आंकड़े तीसरे अग्रिम अनुमानों पर आधारित हैं।*
*# कपास का उत्पादन (गांठों में), 1 गांठ = 170 किलोग्राम*

**पिछले तीन वर्षों के दौरान फसल क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के कारण**

- वर्ष 2023-24 के दौरान, वर्षा की अनियमितताओं, विशेष रूप से कुछ दक्षिणी राज्यों में कम वर्षा के कारण खरीफ फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र पर असर पड़ा। वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान, बेहतर वर्षा की स्थिति ने फसल क्षेत्र में समग्र वृद्धि में योगदान दिया।
- पिछले तीन वर्षों में धान, मक्का, मूंग, कैस्टर सीड, सूरजमुखी और गन्ने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में आम तौर पर वृद्धि का रुझान देखा गया है, जबकि श्री अन्न (पोषक अनाज), उड़द, तिल और सोयाबीन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गिरावट का रुझान देखा गया है।
- मक्का के क्षेत्र में वृद्धि मुख्य रूप से बेहतर बाजार संभावनाओं और इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के कारण बेहतर मूल्य प्राप्ति से हुई है। धान के क्षेत्र में वृद्धि मुख्य रूप से स्थिर लाभकारी मूल्य (एमएसपी), बेहतर सिंचाई सुविधाओं और अनुकूल वर्षा की स्थिति के कारण है।
- मूंग के क्षेत्र में वृद्धि मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के विस्तार के कारण हुई है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश में, जिसे खरीद, कम अवधि वाली किस्मों की उपलब्धता और मशीनीकरण में वृद्धि से समर्थन मिला है।
- गन्ने के क्षेत्र में मामूली वृद्धि मुख्य रूप से पिछले दो वर्षों के दौरान हुई बेहतर वर्षा के कारण हुई है।
- उड़द और सोयाबीन की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गिरावट का मुख्य कारण किसानों का मक्का और अन्य अधिक लाभकारी फसलों की ओर रुख करना है।

******